संख्या-15/2021/693/61-2021-283/2015 टीसी-4

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषयः- जनपद प्रयागराज में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु संयुक्त/एकीकृत भवन के निर्माण के संबंध में प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-386/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017 टी०सी०-III, दिनांक-07 जून, 2021, पत्र संख्या-431/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017 टी०सी०-III, दिनांक-24 जून, 2021, पत्र संख्या-504/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017 टी०सी०-III, दिनांक-22 जुलाई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत लूकरगंज में निशुल्क भूमि उपलब्ध होने की सूचना देते हुए प्रश्नगत परियोजना पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। जनपद प्रयागराज में ई०वी०एम० के भण्डारण हेतु तथा वी 0 वी 0 पैट के भण्डारण हेतु गोदाम / कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 02 भिन्न शासनादेशों क्रमशः दिनांक 26.12.2016 तथा दिनांक 07.08.2019 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी । ई०वी०एम० के भण्डारण हेतु सी० एण्ड डी०एस० (जल निगम) को रू० 2,68,12,500/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा वी०वी०पैट हेतु लोक निर्माण विभाग को रू० 2,87.83 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू० 1,43,91,500/की वित्तीय स्वीकृति प्रदानकी गयी।उक्त कार्य जनपद में निर्विवाद भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका । वी०वी०पैट के भण्डारण हेतु गोदाम/ कार्यालय भवन के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए अवमुक्त धनराशिरू० 1,43,91,500/- शासन को समर्पित की जा चुकी है और वर्ष 2016 से ई०वी०एम० के भण्डारण हेतु गोदाम / कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि रू० 2,68,12,500/- कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० (जल निगम) के बैंक खाते में संरक्षित है। सम्प्रति भूमि उपलब्ध होने पर ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन के सम्बन्ध में संयुक्त/एकीकृत भवन के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू० 786.77 लाख का पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है जिसकी लागत पी०एफ०ए०डी० द्वारा रू० 777.69 लाख आंकलित की गयी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत परियोजना हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू० 777.69 लाख (रूपये सात करोड़ सतहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू० 388.845 लाख की वित्तीय स्वीकृति (कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० , जल निगम के बैंक खाते में संरक्षित धनराशि रू० 2,68,12,500/ - को समायोजित करते हुए) तथा उक्त के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 1,20,72,000/- (रूपये एक करोड़ बीस लाख बहत्तर हजार मात्र) को अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा० राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 एवं अन्य सुसंगत आदेशों तथा प्रश्नगत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मूल शासनादेशों क्रमश: दिनांक 26.12.2016 एवं 07.08.2017में उल्लिखित दिशा निर्देशों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० (जल निगम) के खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में तत्काल जमा कर कृत कार्यवाही की सूचना कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन अनुभाग, विकास भवन, उ०प्र० शासन, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के पास संरक्षित धनराशि रू० 2,68,12,500/- के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही सम्प्रति अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि रू० 1,20,72,000/- को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा । विभागाध्यक्ष परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समयसमय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) कार्यालय मुख्य निर्वचन अधिकारी द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग -2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(10) आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाय। उक्त कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का होगा।

(11) प्रायोजना हेतु जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(12) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु निर्माताओं प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे मेक माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है ।

(13) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय ।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव में 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी का होगा।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्रभाग द्वारा एवं वित्तीय स्वीकृति/बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है।

(17) कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा धनराशि का आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा। उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(19) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व डिजाइन को आवश्यकतानुरूप कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(21) प्रस्तुत प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग की जनपद हेतु जारी वर्ष 2020 की अनुसूची दरें, वर्ष 2020 कुर्सी क्षेत्रफल दरें तथा डी०एस०आर० वर्ष 2018 एवं बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है। प्रभाग द्वारा इसी के आधार पर आगणन का परीक्षण किया गया है।

(22) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कदापि नहीं किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-ई0वी0एम0/वी0वी0पैट भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अ०शा०संख्या वित्त ई०-12-189(ई०ओ०)/दस-2021, दिनांक-20 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-15/2021/693(1)/61-2021-283/2015 टीसी-4, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, प्रयागराज । (द्वारा स्पीड-पोस्ट)
(7) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3 ।
(8) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in